रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 593] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 2009/आश्विन 22, 1931
No. 593] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2009/ASVINA 22, 1931

IndiaCode

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2009

सा.का.नि. 750(अ).—पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. (1) इन नियमों को पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2009 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 की अनुसूची-1 ग के पैरा ङ में शब्द ''निर्धारण उपकरण'' के बाद ''अधिमानत:'' शब्द जोड़ा जाए और यह चौबीस महीने की अवधि समाप्त होने तथा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2009 में संशोधन होने के बाद तक जुड़ा रहेगा ।

[फा. सं. एस-प्रशा/II/8/2009-खण्ड-1]

रतन पी. वातल, सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सं. सा.का.नि. 612(अ), दिनांक 27 अगस्त 2008 को अधिसूचित हुए थे ।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2009

G.S.R. 750(E).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, in para e of Schedule - 1C after the words "fixation device shall", the word "preferably" shall be inserted and shall remain so inserted till expiry of twenty-four months on and after the amendment of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2009.

[F. No. S-Admn./II/8/2009-Vol. I]

RATAN P. WATAL, Secy.

Foot Note : Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R. 612(E), dated 27th August, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.